दिशा–निर्देश/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश (जनपद कानपुर देहात, श्रावस्ती व अमेठी को छोड़कर)

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0न0/UPHC-UCHC/दिशा–निर्देश/131/2018–19/1305-72 लखनऊः दिनांकः28 अगस्त, 2018

विषयः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार से वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2018–19 में स्वीकृत आर0ओ0पी0 के अनुसार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा एस0पी0एम0यू0 कार्यालय से प्राप्त वित्तीय दिशा–निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या–प0क0–13/सं0नि0न0/UPHC-UCHC/दिशा–निर्देश/131/2018–19/ तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4– अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिलाधिकारी/ जिला अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8– समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

दिशा–निर्देश/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश (जनपद कानपुर देहात, श्रावस्ती व अमेठी को छोड़कर)

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0न0/UPHC-UCHC/दिशा–निर्देश/131/2018–19/ लखनऊः दिनांकः 28 अगस्त, 2018

विषयः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार से वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2018–19 में स्वीकृत आर0ओ0पी0 के अनुसार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा एस0पी0एम0यू0 कार्यालय से प्राप्त वित्तीय दिशा–निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या–प0क0–13/सं0नि0न0/UPHC-UCHC/दिशा–निर्देश/131/2018–19/1378-329 तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4– अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिलाधिकारी/ जिला अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8– समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु दिशा निर्देश

जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 4.44 करोड़ जनता निवास करती है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को गुणवत्तापरक एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के इम्प्लीमेन्टेशन फ्रेमवर्क के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले 131 शहरों/कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है तथा 50,000 से कम शहरी जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है। इसके अनुसार शहरों/कस्बों में प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,00,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले शहरों में प्रत्येक 2,50,000 की शहरी आबादी पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु दिशा–निर्देश–

प्रदेश के चिन्हित 131 शहरों/कस्बों के सापेक्ष 128 शहरों/कस्बों (कानपुर देहात, श्रावस्ती एवं अमेठी को छोड़कर) में कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इन 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाईयां (134 अरबन हेल्थ पोस्ट तथा 13 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र), एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया गया है, 214 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित किये जा रहे हैं।

जनपदों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वर्तमान में 66 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवनों में संचालित है तथा 526 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवनों में संचालित किया जाना है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जनपदवार फॉट निम्नवत् है–

S.No.	Name of Districts	Name of City	Health Facilities					
			Total UPHCs	Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
1	Agra	Agra	30	15	9	6	1	29
2	Mainpuri	Mainpuri	3	0	3	0	1	2
3	Mathura	Mathura	6	0	4	2	1	5
		Vrindavan	1	0	0	1	0	1
		Kosi Kalan	1	0	0	1	0	1
4	Firozabad	Firozabad	9	2	4	3	2	7
		Shikohabad	2	0	0	2	0	2
		Tundla	1	0	0	1	0	1
5	Aligarh	Aligarh	17	7	7	3	1	16
		Atrauli	1	0	0	1	1	0
6	Etah	Etah	2	0	1	1	1	1
7	Kasganj	Kasganj	2	0	1	1	1	1
8	Hathras	Hathras	2	0	1	1	1	1
9	Fatehpur	Fatehpur	3	0	1	2	0	3
10	Allahabad	Allahabad	23	11	7	5	3	20
11	Pratapgarh	Bela Pratapgarh	1	0	1	0	0	1

S.No.	Name of Districts	Name of City	Total UPHCs	Health Facilities: Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
12	Kaushambi	Manjhanpur	1	0	1	0	0	1
13	Shahjahanpur	Shahjahanpur	10	7	3	0	0	10
		Tilhar	1	0	0	1	0	1
14	Bareilly	Bareilly	18	2	5	11	2	16
		Faridpur	1	0	0	1	0	1
		Baheri	1	0	0	1	0	1
		Aonla	1	0	0	1	0	1
15	Budaun	Budaun	3	0	3	0	0	3
		Sahaswan	1	0	0	1	0	1
		Ujhani	1	0	0	1	0	1
16	Pilibhit	Pilibhit	2	0	1	1	0	2
		Bisalpur	1	0	0	1	0	1
17	Jalaun	Orai	3	0	2	1	0	3
		Jalaun	1	0	0	1	0	1
		Konch	1	0	0	1	0	1
		Kalpi	1	0	0	1	0	1
18	Jhansi	Jhansi	12	9	3	0	1	11
		Mauranipur	1	0	0	1	0	1
19	Lalitpur	Lalitpur	2	0	1	1	0	2
20	Hamirpur	Rath	2	0	1	1	1	1
21	Mahoba	Mahoba	2	0	2	0	0	2
22	Banda	Banda	2	0	1	1	0	2
23	Chitrakoot	Chitrakoot	1	0	1	0	1	0
24	Sultanpur	Sultanpur	2	0	2	0	0	2
25	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	2	0	1	1	0	2
		Tanda	2	0	2	0	0	2
26	Faizabad	Faizabad	5	0	4	1	1	4
		Ayodhya	1	0	1	0	0	1
27	Barabanki	Nawabganj	1	0	1	0	0	1
28	Amethi	Amethi	0	0	0	0	0	0
29	Gonda	Gonda	2	0	2	0	0	2
30	Bahraich	Bahraich	2	0	1	1	1	1
31	Balrampur	Balrampur	1	0	1	0	0	1
32	Shrawasti	Shrawasti	0	0	0	0	0	0
33	Ballia	Ballia	2	0	1	1	0	2
34	Azamgarh	Azamgarh	2	0	1	1	0	2
		Mubarakpur	1	0	1	0	0	1
35	Mau	Maunath Bhanjan	4	0	2	2	0	4
36	Gorakhpur	Gorakhpur	23	15	8	0	1	22
37	Deoria	Deoria	3	0	3	0	0	3
38	Kushinagar	Padrauna	1	0	1	0	0	1
39	Maharajganj	Maharajganj	1	0	1	0	0	1
40	Basti	Basti	2	0	2	0	0	2
41	Sidharthnagar	Siddharthnagar	1	0	1	0	0	1

NATIONAL URBAN HEALTH MISSION

S.No.	Name of Districts	Name of City	Health Facilities					
			Total UPHCs	Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
42	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	2	0	2	0	0	2
43	Kanpur Nagar	Kanpur	50	11	13	26	5	45
44	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	0	0	0	0	0	0
45	Kannauj	Kannauj	2	0	2	0	0	2
		Chhibramau	1	0	1	0	0	1
46	Etawah	Etawah	6	0	6	0	0	6
47	Auraiya	Auraiya	1	0	1	0	0	1
48	Farrukhabad	Farrukhabad	4	0	2	2	0	4
49	Lucknow	Lucknow	52	11	26	15	20	32
50	Kheri	Lakhimpur	3	0	2	1	0	3
		Gola Gokaran	1	0	0	1	0	1
51	Hardoi	Hardoi	3	0	1	2	0	3
		Shahabad	1	0	0	1	0	1
		Sandila	1	0	0	1	0	1
52	Rae Bareli	Rae Bareli	3	0	1	2	0	3
53	Sitapur	Sitapur	3	0	1	2	0	3
		Laharpur	1	0	0	1	0	1
		Biswan	1	0	0	1	0	1
		Mahmudabad	1	0	0	1	0	1
54	Unnao	Unnao	3	0	1	2	1	2
		Gangaghat	2	0	2	0	0	2
55	Ghaziabad	Ghaziabad	33	9	8	16	1	32
		Loni	9	0	0	9	0	9
		Khora	4	0	2	2	0	4
		Modinagar	3	0	0	3	0	3
		Muradnagar	1	0	0	1	0	1
56	GB Nagar	Noida	12	0	1	11	3	9
		Greater Noida	2	0	0	2	0	2
		Dadri	1	0	0	1	0	1
57	Meerut	Meerut	24	8	11	5	4	20
		Mawana	1	0	0	1	0	1
		Sardhana	1	0	0	1	0	1
58	Baghpat	Baghpat Baraut	2	0	1	1	0	2
		Baghpat	1	0	1	0	0	1
59	Bulandshahar	Bulandshahr	4	0	4	0	0	4
		Khurja	1	0	0	1	0	1
		Sikandrabad	1	0	0	1	0	1
		Jahangirabad	1	0	0	1	0	1
		Gulaothi	1	0	0	1	0	1
60	Hapur	Hapur	2	0	0	2	0	2
		Pilkhuwa	1	0	0	1	0	1
61	Saharanpur	Saharanpur	17	9	8	0	6	11
		Deoband	1	0	0	1	0	1
		Gangoh	1	0	0	1	0	1

S.No.	Name of Districts	Name of City	Health Facilities					
			Total UPHCs	Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
62	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	4	0	2	2	0	4
		Khatauli	1	0	0	1	0	1
		Budhana	1	0	0	1	1	0
63	Shamli	Shamli	2	0	0	2	0	2
		Kairana	1	0	0	1	0	1
64	Bijnor	Nagina	1	0	0	1	0	1
		Bijnor	2	0	1	1	0	2
		Najibabad	1	0	0	1	0	1
		Chandpur	1	0	0	1	0	1
		Sherkot	1	0	0	1	0	1
		Kiratpur	1	0	0	1	0	1
		Seohara	1	0	0	1	0	1
		Dhampur	1	0	0	1	0	1
65	Moradabad	Moradabad	26	13	13	0	1	25
66	Rampur	Rampur	6	3	1	2	1	5
67	J.P Nagar	Amroha	4	0	2	2	0	4
		Hasanpur	1	0	1	0	1	0
		Gajraula	1	0	0	1	0	1
68	Sambhal	Chandausi	2	0	0	2	0	2
		Sambhal	2	0	0	2	0	2
69	Mirzapur	Mirzapur	3	0	1	2	0	3
70	Bhadohi (NPP)	Bhadohi	1	0	1	0	0	1
71	Sonabhadra	Sonbhadra	1	0	1	0	1	0
72	Varanasi	Varanasi	24	15	9	0	0	24
73	Chandauli	Mughalsarai	2	0	0	2	0	2
74	Ghazipur	Ghazipur	2	0	2	0	0	2
75	Jaunpur	Jaunpur	3	0	1	2	0	3
			592	**147**	**231**	**214**	**66**	**526**

भवन का चिन्हीकरण

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों के चिन्हीकरण के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:

1. भवन चिन्हित करते समय यह ध्यान दिया जाय कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा लगभग 50,000 की शहरी जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित की जा सके। यह केन्द्र मलिन बस्तियों में या उनके करीब हो जिससे आस–पास में रहने वाली गरीब जनता को उसके घर के समीप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सके।
2. राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल आवश्यक है–

क्रमांक	सुविधा	आवश्यक न्यूनतम कारपेट एरिया (स्क्वायर फिट में)
1	ओ0पी0डी0 रुम	80
2	पैथोलॉजी लैब	48
3	औषधि भण्डार एवं वितरण	36
4	टीकाकरण / प0क0 काउन्सिलिंग	64
5	प्रसव कक्ष	120
6	स्टाफ नर्स कक्ष, वेटिंग रुम व पंजीकरण	150
7	शौचालय 02 नग	60
8	स्टरलाइजेशन एवं माइनर ओटी	36
9	वार्ड कम से कम 02 बेड	120
योग		714 वर्ग फुट अर्थात 66.48 वर्ग मीटर

कारपेट एरिया का न्यूनतम 25 से 30 प्रतिशत अंश दीवार एवं सरकुलेशन का होता है। इस प्रकार भवन का कुल क्षेत्रफल 964 वर्ग फुट अर्थात 89.58 वर्ग मीटर आयेगा।

3. भवन में विद्युत कनेक्शन हो तथा बिजली एवं पानी की नियमित आपूर्ति हो। मरीजों हेतु एम्बूलेन्स आदि वाहनों के आने–जाने का पर्याप्त रास्ता हो।
4. किराये के भवनों हेतु अनुबंध पत्र भरा जाना है जिसका प्रारूप नीचे दिया गया है। प्रत्येक किराये के भवन का एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाना है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु FMR Code P.4.2.3.1 (Rent for UPHC) (New FMR Code U.5.1.4.1) में अधिकतम सीमा रू0 16500/– प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रू0 16500/–जो कम हो देय होगा।
5. अधिकतम नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है, यदि भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है तो उनको आवश्यकतानुसार मानकानुसार रिलोकेट किया जा सकता है।
6. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो सरकारी भवनों में संचालित है, उनका आवश्यकतानुसार रिनोवेशन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाना है तथा कुछ ऐसी **नगरीय स्वास्थ्य इकाइयॉ जो कि सरकारी, ट्रस्ट या किराये के भवनों में संचालित है एवं उनमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है उन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को किराये के भवन में संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव वर्ष 2019–20 की पी0आई0पी0 में प्रेषित किया जाय तथा भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त** नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवन में स्थानांतरित किया जाय।
7. किराये के भवन हेतु अनुबन्ध का प्रारुप निम्नवत् है–

किराया अनुबन्ध–पत्र

फोटो प्रथम पक्ष (गृह स्वामी)

फोटो द्वितीय पक्ष (संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति) (मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

अनुबन्ध संख्या.................... दिनांक....................

भवन का विवरण: भवन संख्या................, मोहल्ला........................, वार्ड................क्षेत्र (Land Mark सहित)............ तहसील........................ जिला....................

भवन का क्षेत्रफल:............ वर्गफीट/वर्गमीटर

भवन की चौहद्दी: (पूरब.................. पश्चिम.................. उत्तर.................. दक्षिण..................),
कुल कमरे:............,शौचालय............,बाथरूम............ अनाच्छादित स्थान का क्षेत्रफल..................
खुला ग्राउण्ड का क्षेत्रफल....................।

प्रथम पक्ष: भवन स्वामी/भवन स्वामिनी का नाम........................ पूरा पता........................
.... तहसील.................. जनपद....................

द्वितीय पक्ष: जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति..................
जिला..............................

मासिक किराया............ वार्षिक किराया....................

1

NATIONAL URBAN HEALTH MISSION

प्रथम पक्ष: भवन स्वामी/भवन स्वामिनी का नाम.. पूरा पता..............................
.... तहसील..
जनपद...

एवं

द्वितीय पक्ष: जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति....................
पता.. तहसील....................
.... जिला..

हम उभय पक्ष एतद् द्वारा परस्पर वचन देते, विश्वास दिलाते और प्रतिज्ञा करते है कि वह और उनके वारिसन नीचे लिखे प्रतिबन्धो एवं शर्तो का पूर्णतः पालन करेंगे और पालन करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य रहेंगे:–

1. यह कि प्रथम पक्ष मकान संख्या........................ तहसील.. जनपद.................... राज्य .... का स्वामी/स्वामिनी है तथा प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त मकान का प्रथम तल/द्वितीय तल का दिनांक............................ से दिनांक................................ तक कुल .... माह के लिए द्वितीय पक्ष को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने हेतु किराये पर दिये जाने हेतु सहमत है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भवन के किराये के रूप मे रू0.................. प्रति वर्ग फीट की दर से रू0...................... प्रति माह अदा किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन का किराया प्रथम पक्ष के द्वारा भवन किराये का बिल प्रस्तुत किये जाने के प्रत्येक 10 कार्यदिवसों में भुगतान कर देगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति मे देय नही होगा। द्वितीय पक्ष किराया अदा करने के उपरान्त प्रत्येक माह किराये की रसीद प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा। किराये की रसीद प्रथम पक्ष देने हेतु सहमत होगा तथा उसको द्वितीय पक्ष अपने रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेगा।
4. यह कि भवन मे पानी, शौचालय, बाथरूम, विद्युत वायरिंग एवं फिटिंग की व्यवस्था प्रथम पक्ष (भवन स्वामी) द्वारा की जायेगी।
5. यह कि उक्त किराये के भवन में जो भी बिजली का खर्च होगा उसका बिल द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा। चिकित्सा उपकरण एवं प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु बिजली मीटर की लोड क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर नये कनेक्शन द्वितीय पक्ष के नाम होगा इसका सारा व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। इससे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी तथा बिजली मीटर लेने हेतु प्रथम पक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु सहमत होगा।
6. यह कि भवन की पुताई, रंगाई, टूट फूट मरम्मत, प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
7. यह कि द्वितीय पक्ष किराये वाले भवन के हिस्से का रख–रखाव ठीक प्रकार से करेगा तथा आपसी सहमति से यदि द्वितीय पक्ष भवन में कोई तोड़–फोड़ या निर्माण करता है, तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा भवन का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तथा अन्य निर्धारित टैक्स अदा किये जायेंगे।

9 यह कि प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय 03 माह का नोटिस देकर भवन खाली कराया/किया जा सकता है।

10 यह कि द्वितीय पक्ष भवन को चिकित्सालय के रूप मे साज-सज्जा करने हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग कर सकेगा इससे प्रथम पक्ष को कोई भी आपत्ति नही होगी।

11 यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध पत्र की मूल प्रति रखेगा जिसके आधार पर किराया भुगतान प्रकिया की जायेगी।

12 यह कि अनुबन्ध............... माह के लिये है, यदि उभय पक्ष उक्त किरायेदारी को आगे बढ़ाना चाहते है तो दोनो पक्षो की आपसी सहमति से इसे आगे जारी रखा जा सकता है।

13 यह कि यह नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत द्वारा पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपमिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा योजना बन्द करने/भवन हेतु किराये बन्द करने इत्यादि की स्थिति मे नोटिस देने उपरात भवन रिक्त कर दिया जायेगा।

14 उपरोक्त के क्रम मे किराये के भवन के सम्बन्ध मे सभी प्रकरणो मे अन्तिम अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति मे निहित होगा।

15 यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे मध्यस्थ (Arbitrator) जनपद के जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति होगे।

16 यह कि यदि विवाद की स्थिति मे (Arbitrator) के निर्णय से कोई पक्ष सहमत नही है तो जनपद ....न्ययालय मे इसका क्षेत्राधिकार होगा।

लिहाजा यह किराया अनुबन्ध पत्र आज दिनॉक को समक्ष गवाहान लिखवा दिया तथा पढ़कर, सुन-समझकर अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये।

जनपद/शहर

दिनॉक

गवाहान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
भवन स्वामी

1 नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति)
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

2 नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उपकरण एवं फर्नीचर

प्रदेश में संचालित कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकरण के क्रय हेतु गत वर्षों में रु0 3.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि अवमुक्त करते हुये दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे, जिसके अनुसार निम्न उपकरणों को क्रय करते हुये प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी –

Sl.	Name of Equipment and Furniture	No. Of Equipments
1	B.P. Apparatus table model -2	2
2	Stethoscope-2	2
3	A Labour table with Matress	1
4	Suction Machine (Foot Operated)	1
5	Facility for Oxygen administration	1
6	Emergency Drug Tray	1
7	Delivery Kit including those for normal delivery and assisted deliveries. Privacy of women in labour should be ensured as a quality assurance issue.	1
8	Kidney Tray for keeping used instruments	2
9	Bowl for antiseptic solution	1
10	Cheatle's forceps	1
11	Tongue Depressor	1
12	Torch	1
13	Thermometre Clinical	2
14	Calorimeter	1
15	Glucometer	1
16	Needle Destroyer	1
17	Examination Table	2
18	Writing Tables with Table sheets	4
19	Plastic Chairs (for in-patients attendants)	10
20	Armless Chairs	4
21	Full Size Steel Almirah	1
22	Bench for waiting area	2
23	Wheel Chairs	1
24	Bed stread iron (for in-patients)	1
25	Stool	1
26	Fans	3
27	Tube Light	3
28	Basin Stand	1
29	Buckets	5
30	Mugs	5
31	LPG Stove	1
32	LPG Cylinder	1
33	Matress for Beds	1
34	Bed sheets	4
35	Pillows with covers	2

Sl.	Name of Equipment and Furniture	No. Of Equipments
36	Blankets	2
37	Towels	5
38	Curtains with rods	as per req.
39	Dustbins	5
40	Instruments Trolley	1
41	I.V.Stand	2
42	Fire Extinguisher (Type- ABC)	1
43	Bed pan sheet	1
44	Bed side screen	1
45	Emergency light	1
46	Invertor 1 KVA	1
47	Executive Chair for MO	1
48	Standard Surgical set (for minor procedures like episiotomies stiching)	1
49	Equipments for New Born Care and Neonatal Resuscitation Kit	1
50	IUCD Insertion Kit	1
51	Refrigerator	1
52	Adult Weighing Scale	1
53	Baby Weighing Scale	1
54	Height Measuring Scale	1

- वर्ष 2016–17 में 558 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रु0 1.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त करते हुये दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। जिसके अनुसार निम्न उपकरणों को क्रय करते हुये प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।
  - 01 Pathological Microscope-Binocular with coaxial focusing control per UPHC
  - 01 Vertical cylindrical type steam sterilizer pressure type (400x600 mm) per UPHC
  - ANM Kit to organize UHNDs 01 Kit per ANM for all ANMs as per below-

ए.एन.एम. किट–

- ऊपरी भुजा के मध्य भाग को मापने का टेप (MUAC Tape)
- वजन मशीन (वयस्क एवं बच्चों के लिये अलग अलग)
- बी.पी. उपकरण
- स्टेथोस्कोप
- थर्मामीटर
- हामोग्लोबिन स्ट्रिप डिस्पोजेबल लैन्सेट के साथ
- यूरीस्टिक्स
- मूत्र एकत्रित करने के लिये कप
- हब कटर
- अन्य यथाआवश्यक

उपकरण के क्रय की कार्यवाही राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाये।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेब्लस

वर्ष 2018–19 में प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एफ.एम.आर. मद संख्या P.4.4.1.1 (New FMR Code U.6.2.1 Drugs and supplies for UPHC) में रु0 6.50 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द की दर से (कुल 12 माह हेतु) धनराशि स्वीकृत की गयी है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पी.एच.सी. की Essential Drug List (EDL) के अनुसार आवश्यक औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय किया जाय तथा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता, उपलब्ध करायी जा रही सेवाएं एवं रोगियों की संख्या के दृष्टिगत औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स का आवंटन किया जाय। नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक इकाई का स्टॉक तथा एक्सपाइरी की जॉच की जाये। औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के क्रय राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाये।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु क्रय किये गये औषधि एवं कन्ज्यूमेबल का रिपोर्टिंग पपत्र

क्रम सं0	शहर का नाम	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल हेतु व्यय धनराशि		ओ0पी0डी0 मरीजो की संख्या		आई0पी0डी0 मरीजो की संख्या		कुल ओ0पी0डी0 आई0पी0डी0 मरीजों की संख्या	
			मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु Operational Expenses

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु FMR Code P.4.2.3.2 (Operational Expenses) **(New FMR code – U.1.3.1)** में रु0 7000/– प्रति माह की दर से स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस धनराशि का उपयोग बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि में किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन अनुसार नगरीय प्राथमिक केन्द्र हेतु अतिआवश्यक सामग्री के क्रय में किया जा सकता है।

592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में से 147 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य बजट से संचालित है जिसके लिए यदि राज्य बजट से कन्टीजेंसी मद में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तो राज्य बजट या एन0यू0एच0एम0 बजट में से किसी एक बजट की धनराशि का उपयोग किया जाय जिससे किसी तरह की Duplicacy न हो।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर खाता संचालन

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0यू0एच0एम0 निधि का एक बैंक बचत खाता नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एन0यू0एच0एम0) के नाम से {UPHC " Name" NHM}, भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खोला जाना है। उक्त बैंक खाते का संचालन जनपद के नोडल अधिकारी (एन0यू0एच0एम0), जो उप–मुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो (प्रथम हस्ताक्षरी) एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी (नियमित/संविदा) नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (द्वितीय हस्ताक्षरी) के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी का पद रिक्त होने की दशा में पास के स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभार देते हुए द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी नामित किया जा सकता है। **इस सम्बंध में इस कार्यालय के पत्र सख्या SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/3014-75 दिनांकः 22.06.2018 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किये गये है।**

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खोले जाने वाले बैंक बचत खातों में एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अतिरिक्त एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों हेतु भी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बंध में पृथक से निर्देश प्रेषित किये जायेंगें।

रोगी कल्याण समिति

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस मद में वर्ष 2017–18 व्यय के दृष्टिगत धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके क्रम में जिन जनपदों में धनराशि व्यय की गयी है उन जनपदों को व्यय अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त जनपदो द्वारा रक्षित कमिटेड धनराशि का व्यय भी सुनिश्चित किया जाना है।

उपरोक्त धनराशि के व्यय हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017–18/3875–75 दिनांक 10.08.2017 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ए.एन.एम. हेतु अभिलेख

महानिदेशक के पत्र संख्या प0क0–13/सं0नि0न0/नग0प्राथ0–सामु0/43टीसी–1/2017–18/1510–72 दिनांक 06 जुलाई, 2017 के माध्यम से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ए.एन.एम. के स्तर पर रखे जाने वाले रजिस्टर के फार्मेट के संबंध में प्रोटोटाइप के साथ दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं। प्रेषित दिशा–निर्देश एवं प्रोटोटाइप के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ए.एन.एम. के स्तर पर रजिस्टर को उपलब्ध कराया जाय तथा उस पर प्रशिक्षण कराते हुये अपडेशन कराया जाय।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर उपयोग में लाये जाने वाले मुख्य रजिस्टर/प्रपत्र –

- Central Registration Register
- OPD Slip
- OPD Register
- Bed Head Ticket
- Indoor Register
- Labour Room Register
- OT Register (Major/Minor Surgery)
- Patient Discharge Card
- Referral Register
- Stock Register
- Medicine Stock Register
- Daily Medicine & consumables dispense register
- Expiry Register (Drugs & consumables)
- Pathology Register
- RKS Register
- Monthly Meeting Register
- Daily Attendance & Movement Register
- Any other register …

ए.एन.एम. के स्तर पर उपयोग में लाये जाने वाले मुख्य रजिस्टर –

- Tracking of Eligible Couples (EC) and use of Contraceptives
- Tracking of Pregnant Women

NATIONAL URBAN HEALTH MISSION

- Tracking of Children
- RCH Register, etc….

उपरोक्त रजिस्टर हेतु व्यय नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के एफ.एम.आर. मद संख्या P.4.2.3 Operational Expenses **(New FMR code – U.1.3.1)** से किया जाय।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर से रिर्पोटिंग

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मुख्यतः निम्न अभिलेखों का सत्यापन करते हुये आवश्यक रिपोर्ट को जनपद स्तरीय इकाई पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित किया जाना है–

- महिला आरोग्य समिति के स्तर पर रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों का ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापन।
- ए.एन.एम. के द्वारा आशा के स्तर पर बनाये जाने वाले समस्त रिकार्ड का सत्यापन।
- ए.एन.एम. के द्वारा तैयार किये जाने वाले रजिस्टर का प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सत्यापन।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 02 बार सत्यापन।
- डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशा इन्सेंटिव, ए.एन.एम. मोबिलिटी सपोर्ट, एम.सी.टी.एस., एच.एम.आई.एस., विशेष आउटरीच कैम्प एवं अन्य प्रपत्र पर प्रत्येक माह रिपोर्ट संकलित एवं सत्यापन कर जनपद स्तरीय इकाई को प्रेषित किया जाना।

क्वालिटी एश्योरेंश –

- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी को क्वालिटी एश्योरेंश के अन्तर्गत 02 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Internal Assessment किया जाना है। प्रत्येक प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Internal Assessment करते हुये पायी गयी कमियों हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में स्टेट बजट से संचालित 147 नगरीय प्राथमिक केन्द्रों में कायाकल्प योजना लागू की जानी है जिसके विस्तृत पृथक से निर्गत किये जा रहे है।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Fire Extinguisher (Type- ABC) लगा होना चाहिये एवं Fire Extinguisher की Refilling भी नियमित रुप से करायी जाय एवं तैनात कर्मियों का प्रशिक्षण भी कराया जाय।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शियाकत पेटिका उचित स्थान पर लगी हो तथा नियमानुसार प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाय।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Polution Cotrol Board से Registration कराया जाना है।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Hospital Waste Management हेतु व्यवस्था की जानी है।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत जनपदीय स्थानीय निकाय के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पोस्टर को प्रदर्शित किया जाना है, जिससे जनमानस में स्वच्छता के प्रति जागरुकता लायी जा सके।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशों एवं प्रोटोटाइप के अनुसार प्रचार प्रसार सामग्री प्रदर्शित की जाय।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Biometric Attandence की व्यवस्था की जानी है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आधार बेस Biometric सिस्टम लगाये जाने के सम्बंध में इस कार्यालय के

NATIONAL HEALTH MISSION
NATIONAL URBAN HEALTH MISSION

पत्र सख्यां SPMU/NUHM/2018-19/01/ 3006—75 दिनांकः 21.06.2018 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किये गये है।

पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आयोजित होने वाले यू.एच.एन.डी. दिवस पर कम से कम 02 यू.एच.एन.डी. सत्र का भ्रमण किया जायेगा तथा निर्धारित चेकलिस्ट पर रिपोर्ट जनपद स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में अपने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी कक्षों का भ्रमण एवं कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो का अनुश्रवण किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों का अपने स्तर एवं उच्च स्तर से निराकरण कराया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत होने वाले आउटरीच कैम्प का प्लान करते हुये जनपद स्तरीय इकाई को प्रेषित किया जायेगा एवं प्रत्येक कैम्प में प्रतिभाग करते हुये मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक समीक्षा बैठक प्रत्येक माह की 25 तारीख को आयोजित की जाय। यदि 25 तारीख को टीकाकरण या अवकाश हो तो बैठक अगले कार्य दिवस में की जाय। जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों, ए0एन0एम0 एवं आशाओं की बैठक की जायेगी। बैठक में नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम./अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0 के द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में समस्त स्टाफ के मानदेय, ए.एन.एम. मोबिलिटी, आशा इन्सेंटिव, कार्यालय व्यय, के भुगतान एवं एच.एम.आई.एस., एम.सी.टी.एस. की फीडिंग, अपलोडिंग भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आदि चर्चा की जायेगी तथा रिकार्ड कीपिंग के सम्बन्ध में यथा आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाय जिससे समस्त अभिलेखों में आने वाली कमियों को दूर किया जा सके।
- प्रत्येक माह डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाली बैठको में प्रतिभाग किया जाय तथा समस्त स्टाफ के मानदेय, ए.एन.एम. मोबिलिटी, आशा इन्सेंटिव, कार्यालय व्यय, एच.एम.आई.एस., एम.सी.टी.एस. की अपलोडिंग सुनिश्चित की जायेगी।

नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –

लखनऊ में संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृहों तथा वाराणसी शहर के 02 मैटरनिटी होम को नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अटान्ड ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

****

NATIONAL URBAN HEALTH MISSION